

पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय

मुख्य परिसर, बादल रोड , घुद्धा-151401,

ई-मेल:procurement@cup.edu.in,

वेबसाइट :www.cup.ac.in या www.cup.edu.in



Central University of Punjab

Main Campus, Badal Road, Ghudda-151401,

Email: procurement@cup.edu.in, Website:

www.cup.ac.in or www.cup.edu.in

सन्दर्भ संख्या: CUPB/SPO/24-25/1422-1423 (NIQ-31)

दिनांक : 05.02.2025

(कोटेशन आमंत्रण सूचना)

विषय: उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए कोटेशन (निर्माता: थर्मो फिशर साइंटिफिक और सिग्मा एल्ड्रिच)।

1. पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा (सीयूपीबी) निम्नलिखित वस्तुओं/उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति के लिए ओईएम फर्मों/अधिकृत डीलरों से सीलबंद कोटेशन आमंत्रित करता है:

क्रमांक संख्या	कैटलॉग संख्या	वस्तु का विवरण	बनावट	मात्रा	राशि (रु. में)
1.	12491015	उन्नत DMEM-500ML	थर्मो फिशर साइंटिफिक	01	
2.	A5256701	भ्रूण गोजातीय सीरम, मूल्य (पूर्व में USD-A उत्तरी अमेरिका में अनुमोदित या योग्य, अन्य क्षेत्रों में बारज़िल)	थर्मो फिशर साइंटिफिक	01	
3.	10378016	पेनिसिलिन-स्ट्रेप्टोमाइसिन-ग्लूटामाइन (100X)- 100ML	थर्मो फिशर साइंटिफिक	01	
4.	AM9624	पीबीएस-फॉस्फेट बफर सलाइन (10X) पीएच 7.4, आरएनज़-मुक्त-500एमएल	थर्मो फिशर साइंटिफिक	01	
5.	BMS500FI-100	ईबायोसाइंस TM एनेक्सिन वी एपोप्टोसिस डिटेक्शन किट (FITC, प्रोपिडियम आयोडाइड 100 टेस्ट)	थर्मो फिशर साइंटिफिक	01	
6.	V13154	CyQUANT™ MTT सेल व्यवहार्यता परख	थर्मो फिशर साइंटिफिक	01	
7.	96992-100TESTS-F	कोशिका गणना किट-8	सिग्मा एल्ड्रिच	01	
					उप-कुल छूट @ % छूट के बाद मूल ऑर्डर मूल्य GST@. % कुल योग (GST सहित)

2. सीलबंद लिफाफा जिस पर NIQ संदर्भ संख्या CUPB/SPO/24-25/1422-1423 (NIQ-31) दिनांक 05.02.2025 अंकित हो, जिसमें कोटेशन और अन्य सहायक दस्तावेज हों, दिनांक 26.02.2025 तक निम्नलिखित पते पर पहुंच जाने चाहिए।

रजिस्ट्रार,

पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, वीपीओ- घुडा, जिला बठिंडा पंजाब- 151401

(ध्यान दें: खरीद अनुभाग)

कोटेशन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज।

1. बोलीदाता फर्म के जीएसटीआईएन की प्रति
2. ओईएम द्वारा जारी प्राधिकरण प्रमाणपत्र (यदि कोटेशन मुख्य फर्म/ओईएम के अलावा किसी अन्य फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया हो)
3. ओईएम की वर्तमान मूल्य सूची जिसमें उल्लिखित उद्धृत वस्तुओं का उल्लेख हो।
4. मुख्य फर्म से एक प्रमाणपत्र जिसमें दर्शाया गया हो कि "कोटेशन संख्या के अनुसार हमारे द्वारा उद्धृत दरें समान हैं और अन्य सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी/स्वायत्त/समान संस्थानों द्वारा उद्धृत दरों से अधिक नहीं हैं।" (अनुलग्नक- "ए")

नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:

1. मूल्य: उपकरण/वस्तुओं की उद्धृत कीमतें पक्की होनी चाहिए, जिसमें बीमा शामिल हो तथा पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, वीपीओ- घुडा, जिला- बठिंडा-151401 के लिए तथा विश्वविद्यालय द्वारा देय सभी शुल्कों, करों और शुल्कों का पूरा ब्यौरा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए अन्यथा यह माना जाएगा कि उद्धृत दरों में ये सभी शुल्क/कर/शुल्क शामिल हैं तथा कुछ भी अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा। विशेष छूट/छूट, जो भी लागू हो, कृपया यह भी इंगित करें कि आपूर्ति एक शैक्षणिक संस्थान को की जा रही है।
2. भुगतान शर्तें: 100% भुगतान डिलीवरी, सफल इंस्टॉलेशन (यदि कोई हो) और निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के बाद आरटीजीएस/चेक के माध्यम से किया जाएगा।
3. वैधता: कोटेशन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम/निर्धारित तिथि से 03 महीने के लिए वैध होना चाहिए।
4. अपूर्ण या भ्रामक कोटेशन: विधिवत सीलबंद और नियत तिथि तक प्राप्त कोटेशन पर विचार किया जाएगा। देरी से प्राप्त या बयाना राशि के बिना (यदि लागू हो) या भ्रामक कोटेशन को सीधे खारिज कर दिया जाएगा। हालांकि, उन मामलों में जहां आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं या निविदा किसी भी तरह से अधूरी है। सीयूपीबी, ऐसी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी कारण से डाक में देरी के संबंध में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. अस्वीकार करने का अधिकार: सीयूपीबी किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. डिलीवरी शेड्यूल: कोटेशन में डिलीवरी शेड्यूल का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सामग्री की आपूर्ति आपूर्ति/कार्य पुरस्कार पत्र में दिए गए निर्धारित समय अवधि के भीतर की जाएगी। आयातित वस्तु के मामले में, आपूर्तिकर्ता/उनके भारतीय एजेंट सामग्री के निर्वहन स्थान से अंतिम बिंदु तक सामग्री की डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होंगे।
7. मध्यस्थता:
 - क. यदि किसी भी समय क्रेता/विश्वविद्यालय और बोलीदाता/ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता के बीच क्रय आदेश/अनुबंध के संबंध में या उसके संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, तो कोई भी पक्षकार तुरंत दूसरे पक्ष को ऐसे प्रश्न, विवाद या मतभेद के अस्तित्व की लिखित सूचना दे सकता है और उसे क्रेता/विश्वविद्यालय के नामित व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, जो तर्कपूर्ण/स्पष्ट निर्णय देगा। एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय भारतीय मध्यस्थता अधिनियम-1996 (संशोधित) और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुनः अधिनियमन को अनुबंध/क्रय आदेश में लागू और शामिल माना जाएगा। एकमात्र मध्यस्थ विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी होगा जिसका नाम कुलपति द्वारा अनुमोदित हो। यदि एकमात्र मध्यस्थ विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी है और उसने विवाद या मतभेद के सभी या किसी भी मामले पर अपने विचार व्यक्त किए हैं तो यह आपत्तिजनक नहीं होगा।

ख. प्रत्येक या किसी ऐसे संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार की लागत और उससे संबंधित लागत क्रमशः नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के विवेक पर होगी, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकता है या उसे वकील और ग्राहक के बीच या पक्षकारों के बीच तय करने का निर्देश दे सकता है और निर्देश देगा कि उसे किसके द्वारा और किसको और किस तरीके से वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा।

8. सामग्री की गैर-डिलीवरी/देरी के लिए जुर्माना: यदि आपूर्तिकर्ता क्रय आदेश/अनुबंध की निर्धारित डिलीवरी अवधि के भीतर सामग्री/उपकरण की डिलीवरी और स्थापना करने में विफल रहता है, तो उसे आपूर्ति/स्थापित नहीं की गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत का 0.5% प्रति सप्ताह की दर से जुर्माना देना होगा, जो कि देरी से स्थापित किए गए संपूर्ण उपकरण/सामग्री की लागत के 10% की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा।

9. सिविल मुकदमे का क्षेत्राधिकार: इस खरीद आदेश/अनुबंध के संबंध में सभी कानूनी कार्यवाही केवल बठिंडा स्थित स्थानीय सिविल न्यायालयों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अधीन होगी।

10. रद्दीकरण: खरीदार को खरीद आदेश को संपूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी समय रद्द करने का अधिकार है या आपूर्तिकर्ता की ओर से चूक की स्थिति में, सामग्री के निर्माण की जानकारी प्राप्त करने से पहले/सामग्री के प्रेषण के लिए।

11. स्वीकृति की ओर से....., मैं..... यह बताता हूँ कि मैंने NIQ में दिए गए सभी उपरोक्त शर्तों और नियमों को पढ़ लिया है। मैं सहमत हूँ और इन्हें मानने की अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षरित
प्रभारी, क्रय एवं भंडार शाखा
(पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय की ओर से)

दर तर्कसंगतता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि “हमारे द्वारा GeM/NIQ/निविदा/STE बोली संख्या _____
दिनांक _____ के अनुसार उद्धृत दरें समान हैं तथा अन्य सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी/स्वायत्त/समान
संस्थानों द्वारा उद्धृत दरों से अधिक नहीं हैं।”

स्थान :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

दिनांक :

पदनाम:

मोहर: